राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/07/2023 को संपन्न 478वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023 को डॉ. बी.पी. नौन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वैंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 476वीं एवं 477वीं बैठक क्रमशः दिनांक 19/07/2023 एवं 20/07/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 476वीं एवं 477वीं बैठक क्रमशः दिनांक 19/07/2023 एवं 20/07/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स के.ए. पाप्पच्चन आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रजनिश दुबे), ग्राम–किरंदुल, तहसील–कुआकोण्डा, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2467)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430878/ 2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरंदुल, तहसील–कुआकोण्डा, जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 61,

कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,033 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को **डि–लिस्ट/निरस्त** किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स किसान स्टील रोलिंग मिल, प्लॉट नं. 552 ए, 552 बी, 569, 570 ए, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2476)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी1/431149/2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नं. 552 ए, 552 बी, 569, 570 ए, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.56 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–10,200 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2.37 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र चन्द्रिकापुरे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.एंगल्स, सी.टी.डी.बार, स्क्वायर, चैनल, राउंड, विंडो सेक्शन, फ्लैट्स) क्षमता–10,200 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 24/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 01/03/2020 से दिनांक 28/02/2026 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई

कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज डीड का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स किसान स्टील रोलिंग मिल, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर (प्रो.– श्री राजेश कुमार अग्रवाल) को प्लॉट नं. 569, 570–ए एवं 552–बी (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 625/1, 625/2 एवं 626/1), प.ह.नं. 28, क्षेत्रफल 1.04 एकड़ (0.418 हेक्टेयर) हेतु लीज 20/07/2021 से दिनांक 16/02/2085 तक, प्लॉट नं. 552–ए, क्षेत्रफल 0.35 एकड़ हेतु लीज दिनांक 10/09/2013 से दिनांक 16/02/2085 तक जारी किया गया है, इस प्रकार कुल 1.39 एकड़ (0.56 हेक्टेयर) हेतु लीज जारी की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी बीरगांव 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 7.6 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 3.69 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Builtup Area	1,545	27.58
2.	Road & Paved area	390	06.96
3.	Greenbelt Area	2,240	40.00
4.	Open Area	1,425	25.44
Total		**5,600**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल क्षमता** –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets /Ingots/Missroll	11,000	Open Market	By road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

S. No.	Particular	Capacity
1.	Unit	Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products 10,200 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बेग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30

मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–600 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–200 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश 460 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है तथा ऐश को ईंट निर्माण ईकाईयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 4 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट 0.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 400 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.224 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 560 वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit details of annual coal requirement and show storage area of coal on plant layout.

iv. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स वी.वी. क्रशर स्टोन, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री वशिष्ठ कश्यप), ग्राम–जुनवानी, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2479)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431045/ 2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जुनवानी, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक–298, कुल क्षेत्रफल–1.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–44,931 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स श्री सांई फर्शी उद्योग (प्रो.– श्री अजय सिंह ठाकुर), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2480)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431208/2023, दिनांक 28/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक – 333/3, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,167.5 टन (867 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स फरहदा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री एकांत पारप्यानी), ग्राम–फरहदा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2482)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431191/ 2023, दिनांक 28/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–फरहदा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा

क्रमांक 602/1, 602/2 एवं 602/3, कुल क्षेत्रफल–1.197 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,000.3 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स अशोक इस्पात उद्योग, सेक्टर–सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2484)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 431434/2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लांट नं. 215, सेक्टर–सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.63 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 1.2 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र बोथरा, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.एंगल्स, बार, फ्लैट्स) क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/06/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2024 तक की अवधि हेतु है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज डीड का विवरण** – मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा मेसर्स अशोक इस्पात उद्योग, उरला, जिला–रायपुर को ग्राम–अछोली, क्षेत्रफल 1.55 एकड़ हेतु दिनांक 19/06/1995 से दिनांक 18/06/2094 तक की अवधि के लिए लीज जारी किया गया है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी ग्राम–बीरगांव 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 5.4 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14.1 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.35 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Building shed	1,640	26.03
2.	Road area	910	14.44
3.	Green area	2,520	40.00
4.	Open land	1,230	19.52
Total		**6,300**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल क्षमता** –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of transport
1.	Billets	9,500	Open Market	By road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

S. No.	Particular	Existing
1.	Unit	Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products 9,000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बेग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–200 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश 324 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है तथा ऐश को ईंट निर्माण ईकाईयों में विक्रय किया जाता है।

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 1.5 घनमीटर जल की आवश्यकता होती है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता (1 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि शेष 0.5 घनमीटर भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 900 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.252 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 630 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may

be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit details of annual coal requirement and show storage area of coal on plant layout.

iv. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स नवागांव स्टोन वखारी (प्रो.– श्रीमती अनिता अग्रवाल), ग्राम–नवागांव, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2488)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430810/ 2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक–53, 55, 58 एवं 59, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–34,143.2 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स पिनकापार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामचरण सिरदार), ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौंडी लोहारा, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2487)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430634/ 2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौंडी लोहारा, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 1117, 1122/1, 1122/2, 1123, 1124 एवं 1125, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव कुमार देवांगन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1117, 1122/1, 1122/2, 1123, 1124 एवं 1125, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर, क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद द्वारा दिनांक 02/12/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 299/कोपा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	4,500
2018	5,000
2019	5,000
2020	3,500
2021	3,400
2022	3,750
2023 (मार्च तक)	3,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पिनकापार का दिनांक 20/12/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी, जिला–बालोद के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1205–06/खनि.लि./खनिज/2015–16 बालोद, दिनांक 22/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 300/कोपा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदान, क्षेत्रफल 2.66 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 299/कोपा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध, राष्ट्रीय/राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री रामचरण सिरदार के नाम पर है। लीज डीड पांच वर्षों अर्थात् दिनांक 06/05/2010 से 05/05/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड दिनांक 05/05/2030 तक की अवधि हेतु वैध विस्तारित है। समिति का मत है कि लीज डीड की अवधि विस्तार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1117 श्री गौतम चंद, खसरा क्रमांक 1122/1, 1122/2, 1123 एवं 1124 श्री दिनेश चंद नखत एवं खसरा क्रमांक 1125 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र.23/2020/6277 बालोद, दिनांक 06/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पिनकापार 1 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–पिनकापार 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 7.2 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,10,500 टन, माईनेबल रिजर्व 50,062 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,223 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,000	षष्टम	5,000
द्वितीय	5,000	सप्तम	5,000
तृतीय	5,000	अष्टम	5,000
चतुर्थ	5,000	नवम	5,000
पंचम	5,000	दशम	5,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – समिति द्वारा के.एम.एल. से देखने पर पाया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग में उत्खनित किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at, **Village- Pinkapar**	
			Plantation in Muktidham	3.19
			Total	**3.19**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "मुक्तिधाम के पास चारों ओर" वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 नग पौधों

के लिए राशि 38,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,62,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,57,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पिनकापार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 197, क्षेत्रफल 1.69 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. खदान से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी लगभग 3,400 घनमीटर में से लगभग 2,700 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की लीज बाउंड्री में 1.5 मीटर ऊंचाई तक रखा जायेगा तथा शेष 700 घनमीटर मिट्टी को आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत पिनकापार के द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 197, रकबा 1.89 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिकतम 1.5 मीटर की ऊंचाई तक रखा जायेगा जिसको खदान के अन्त में पुनः भरण कार्य में उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी के अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ग्राम पंचायात द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का कम से कम 5 वर्षों तक देख रेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

30. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज डीड की अवधि विस्तार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरी मिट्टी 700 घनमीटर को ग्राम पंचायत पिनकापार के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 197 में रखे जाने हेतु ग्राम पंचायत पिनकापार का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाए।

6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सैफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

9. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स पिनकापार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री दिनेशचंद नखत), ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौंडी लोहारा, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2486)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430554/ 2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौंडी लोहारा, जिला–बालोद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1265, कुल क्षेत्रफल–0.49 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,285 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all

such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव कुमार देवांगन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1265, कुल क्षेत्रफल–0.49 हेक्टेयर, क्षमता–6,285 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद द्वारा दिनांक 02/12/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 280(ए)/कोपा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	6,200
2018	6,280
2019	6,250
2020	4,700
2021	4,000
2022	7,200
2023 (मार्च तक)	2,750

समिति द्वारा यह पाया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2022 में 7,200 टन का उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by

the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पिनकापार का दिनांक 15/12/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1202–03/खनि.लि./खनिज/2015–16 बालोद, दिनांक 22/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 298/कोपा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 2, क्षेत्रफल 2.74 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 298/कोपा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दिनेश चंद नखत के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/07/2007 से 01/07/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/07/2012 से 01/07/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तदोपरांत लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/07/2022 से 01/07/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2138 दुर्ग, दिनांक 22/02/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पिनकापार 800 मीटर, स्कूल ग्राम–पिनकापार 3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–डोंगरगांव 11.30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं मौसमी नाला 100 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 55,125 टन, माईनेबल रिजर्व 50,287 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,007 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम्	6,285
द्वितीय	6,285
तृतीय	6,285
चतुर्थ	6,285
पंचम्	6,285
षष्टम	6,285
सप्तम	6,285
अष्टम	6,285

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी पूर्णतः उत्खनित होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है तथा उसमें तकनीकी तौर पर पुनःभराव कर वृक्षारोपण कार्य किया जाना भी संभव नहीं है। इस संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी क्षेत्र के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित क्षेत्र के समीप अन्य भूमि में वृक्षारोपण का प्रस्ताव सहमति प्राप्त अथवा निजी भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) तथा आवेदित क्षेत्र से दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – समिति द्वारा के.एम.एल. से देखने पर पाया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग में उत्खनित किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जांच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at, **Village- Pinkapar**	
			Plantation in	3.13

			Muktidham	
			Total	**3.13**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "मुक्तिधाम के पास चारों ओर" वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदंब, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 33,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,57,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,56,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पिनकापार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 197, क्षेत्रफल 1.89 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी के अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. ग्राम पंचायात द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का कम से कम 5 वर्षों तक देख रेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

4. 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी क्षेत्र के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित क्षेत्र के समीप अन्य भूमि में वृक्षारोपण का प्रस्ताव सहमति प्राप्त अथवा निजी भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) तथा आवेदित क्षेत्र से दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी

पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

8. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

10. **मेसर्स जिस्को इंटरप्राईजेस (कलकसा लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री भरत रूंगटा), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2483)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430265/ 2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई स्थित खसरा क्रमांक 229/2, 230/2, 231/2 एवं 232, कुल क्षेत्रफल–1.255 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से

समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. **मेसर्स हरजस मिनरल्स (प्रो.– श्रीमती सिमरन कौर चांवला, लो ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बालौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2491)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431532/ 2023, दिनांक 30/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बालौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 17, 29/1 एवं 471/2, कुल क्षेत्रफल–1.172 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,919.01 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स देवपुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री खेमेन्द्र नाथ साहू), ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2177)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67480/2021, दिनांक 09/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 406088/ 2022,

दिनांक 04/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल–2.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,926.218 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1889, दिनांक 15/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेमेन्द्र नाथ साहू, प्रोपराईटर एवं मेसर्स अमलतास इनवायरो इण्डस्ट्रीयल कन्सलटेंट एलएलपी की ओर से श्री वरूण भारद्वाज उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत देवपुर का दिनांक 10/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 443/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1210/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1211/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मंदिर 170 मीटर, महानदी 150 मीटर एवं महानदी में निर्मित एनीकट 190 मीटर दूर है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. श्री खेमेन्द्र नाथ साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),

जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 407/खनिज/ई–निविदा/टेंडर नंबर 68711/2020–21 धमतरी, दिनांक 24/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 66/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/09/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला धमतरी को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.घि./जी/4912 धमतरी, दिनांक 01/09/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी/उप संचालक टाईगर रिजर्व द्वारा लीज क्षेत्र से सीता नदी तथा उदंती अभयारण्य/ टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवपुर 500 मीटर, स्कूल ग्राम–देवपुर 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–देवपुर 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 300 मीटर दूर है। बलका नदी 200 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,16,207 टन, माईनेबल रिजर्व 4,04,634 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,84,403 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,422 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है, जिसमें से 25 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	80,497.72
द्वितीय	92,867.02
तृतीय	74,198.2

चतुर्थ	97,967.85
पंचम	59,100.3

12. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, जबकि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्रशर की स्थापना के प्रस्ताव का उल्लेख है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में क्रशर का उल्लेख करते हुये रिजर्व की गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,360 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,422 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व से लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है। साथ ही खनि निरीक्षक, जिला कार्यालय धमतरी के ज्ञापन दिनांक 01/05/2020 द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6(ख) तथा प्रारूप नौ की कंडिका अठारह (ख) के तहत् खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के दक्षिण में पूर्व से ही पत्थर उत्खनन का गड्ढा बना हुआ है प्रस्तावित क्षेत्र पहाड़ चट्टान है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 04 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 09 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 05 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल :–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	35.22	56.61	60
PM_{10}	60.81	88.58	100
SO_2	8.9	15.89	80
NO_2	20.14	31.26	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	55.8	59.5	75
Night L_{eq}	40.4	46.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** वर्तमान एवं खदान में उत्खनन से भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी. सी.यू. प्रतिघंटा के आधार पर) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 22/07/2022 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन देवपुर, ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. खदान प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक

की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत देवपुर (खसरा क्रमांक 482, रकबा 1.91 हेक्टेयर) का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी/उप संचालक टाईगर रिजर्व द्वारा लीज क्षेत्र से सीतानदी तथा उदंती अभ्यारण्य/ टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. क्रशर का उल्लेख करते हुये रिजर्व की गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. फ्लोरा, फौना एवं बेलाओं की फिल्ड सर्वे आधारित सूची प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान एवं खदान में उत्खनन से भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा के आधार पर) प्रस्तुत किया जाए।
6. जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत किया जाए।
7. खदान प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
8. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) संबंधी अन्य कार्य का भी विस्तृत विवरण (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
10. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

19. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

20. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

21. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.

जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्र./मा.वि./जी/1815 गरियाबंद, दिनांक 10/04/2023 से जारी पत्र अनुसार "उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के कोर क्षेत्र अंतर्गत सीतानदी परिक्षेत्र के गिधावा बीट, कक्ष क्रमांक 349 की सीमा रेखा से नक्शे एवं गूगल मैप से आवेदन में दर्शाये अक्षांश एवं देशांश के अनुसार देवपुर साधारण पत्थर खदान की लगभग दूरी 5.69 कि.मी. में स्थित है। चूंकि उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र का इको सेन्सिटिव जोन अधिसूचित करने संबंधी प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किया गया है। जो कि विचाराधीन है। अतः उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र का ईको सेन्सिटिव जोन अधिसूचित होने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।" का उल्लेख है।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उत्खनन योजना मे क्रशर प्रस्तावित नहीं है। तदानुसार ही रिजर्व की गणना की गई है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. पलोरा, फौना एवं बेलाओं की फिल्ड सर्वे आधारित सूची प्रस्तुत किया गया है।
5. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **खदान के आस–पास के क्षेत्र में** वर्तमान में 96 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 156 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 252 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। **राज्यमार्ग क्रमांक–06** में वर्तमान में 1,150 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.11 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 156 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,306 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13

होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

6. जी.एल.सी. की गणना:–

S.No.	Parameters	Maximum GLC ($\mu g/m^3$)	Distance from site (meter)	Direction from site
1.	PM_{10}	04.43	600	NE
2.	$PM_{2.5}$	02.23	600	NE
3.	SO_2	13.14	600	NE
4.	NO_x	78.86	600	NE

7. खदान प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान का नियमानुसार संचालन सुचारू रूप से करें।

ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान का संचालन सुचारू एवं पर्यावरणीय दिशा–निर्देश के तहत् किया जाएगा।

ii. खदान में काम करने के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) संबंधी अन्य कार्य का भी विस्तृत विवरण (डी.पी.आर.) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

19. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उदंती अभ्यारण्य/ टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत जाए।

3. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) संबंधी अन्य कार्य का भी विस्तृत विवरण (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

5. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स प्रिमियर मेटल्स (प्रो.– श्री अजय झांझरी), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2213)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/405329/2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1971/1 एवं 1971/2, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय झांझरी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   I. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1971/1 एवं 1971/2, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर, क्षमता 32,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/02/2023 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों तरफ तथा अन्य स्थानों में कुल 400 नग वृक्षारोपण किया गया है। अतः समिति का मत है कि पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 98/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018–19	13,348
2019–20	24,896
2020–21	19,999
2021–22	16,956

v. समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 13/06/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 5505/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 21/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 181.82 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से

200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। 200 मीटर के भीतर नाला स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स प्रिमियर मेटल्स, प्रो.– श्री अजय झांझरी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2018 से 21/02/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 1971/1 श्रीमती नेहा झांझरी एवं खसरा क्रमांक 1971/2 श्रीमती प्रेम झांझरी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुंगी 1.1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–नरदहा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,14,660 टन, माईनेबल रिजर्व 3,67,530 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,56,504 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,807 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,000 घनमीटर है, जिसमें से ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 906 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	32,000
द्वितीय	32,000
तृतीय	32,000
चर्तुथ	32,000
पंचम	32,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं अन्य स्थानों में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3,807 वर्गमीटर है, जिसमें से 800 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – ओव्हर बर्डन एवं ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु लीज क्षेत्र में 1,726 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 22 मीटर उत्खनन उपरांत 336 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई एवं लीज क्षेत्र के भीतर 19 मीटर उत्खनन उपरांत 64 वर्गमीटर क्षेत्र में 6 मीटर की गहराई में उत्खनन किया जाना संभव नहीं होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उपरोक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसारः–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."
>
> उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2022 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये गये 400 नग पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी किया जाए।

3. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 01/02/2023 को ई–मेल के माध्यम से आवेदन कर दिया गया था परंतु हार्ड कॉपी को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ने पर्यावरण स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के कारण जमा लेने से मना कर दिया गया। वर्तमान में पालन प्रतिवेदन हेतु सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, छत्तीसगढ़ को दिनांक 19/06/2023 को जमा किया गया है, जो कि अभी विचाराधीन है। पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने उपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ को जमा कर दी जायेगी।

   पूर्व में एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 13/04/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार:–

A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी, क्रशर एवं अन्य स्थल पर (ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि में) राजधानी क्रशर ओनर एसोसिएशन द्वारा किये गयेव वृक्षारोपण का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1109/खनिज/खु.प./2023 रायपुर, दिनांक 02/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)	10,433

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (मेसर्स नरदाहा लाईम स्टोन क्वारी माईन, प्रो.– श्री इन्द्र कुमार अठवानी, खसरा क्रमांक 1945, क्षेत्रफल 0.963 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा/2682 रायपुर, दिनांक 13/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 181.82 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) का रकबा 1.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) को मिलाकर कुल रकबा 183.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

   iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iv. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.

   v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit the permission from CGWA for usage of water.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall complete plantation of previous environmental clearance conditions and submit details of plants (species, number etc.) along with Geotag photographs.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

3. **मैसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू), ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2324)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416899/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1, कुल क्षेत्रफल–2.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फालेश कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बारगांव का दिनांक 06/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक, खनिज प्रशासन, जिला–दुर्ग के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1568/खनि. अनु–01/2022 दुर्ग, दिनांक 11/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 863/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री फालेश कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 727/खनि.लि./डोलो/2020 बेमेतरा, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2022/4134 दुर्ग, दिनांक 19/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पिपरोलडीह 530 मीटर, स्कूल ग्राम–पिपरोलडीह 700 मीटर एवं अस्पताल आनंदगांव 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 100 मीटर एवं शिवनाथ नदी 4.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 34,550 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,750 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 29 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,200
द्वितीय	1,200
तृतीय	1,200
चतुर्थ	1,200
पंचम	1,200

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,51,125 रूपये, खाद के लिए राशि 21,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 92,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,99,925 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 3,43,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 450 वर्गमीटर क्षेत्र को रॉ–मटेरियल एकत्रित करने तथा 50 वर्गमीटर क्षेत्र को कार्यालय निर्माण करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.75	2%	0.995	Following activities at **Village- Bargaon**	
			Pavitra van Nirman	3.81
			Total	**3.81**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,11,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,70,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बारगांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 9.28 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर ईंट भट्ठा का निर्माण निकटतम ग्रामीण क्षेत्र से 824 मीटर दूरी में निर्माण किये जाने बाबत् ईंट भट्ठा से निकटतम ग्रामीण क्षेत्र (अंक्षाश 21°32'51.64" देशांतर 81°34'13.88") को नक्शे में दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में लीज क्षेत्र में फिक्स चिमनी का निर्माण कार्य आबादी से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़कर किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उक्त का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के 1 कि.मी. के परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में लीज क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किये जाने एवं भविष्य में भी 50 प्रतिशत की दर से मिट्टी और पलाई ऐश का उपयोग कर ईंट निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फिक्स चिमनी की ऊँचाई कम से कम 30 मीटर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टें में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढककर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेंटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्हे भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हे मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
2. आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) तथा प्रस्तावित ईंट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. ब्लॉक रिर्जव की गणना से चिमनी को हटाते हुए तथा प्रस्तावित ईंट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि एक लाख ईंट निर्माण में लगभग 3 टन कोयले की आवश्यकता होगी इस आधार पर प्रस्तावित 12 लाख ईंट निर्माण के लिए 36 टन प्रतिवर्ष कोयले की आवश्यकता होगी। उपरोक्त जानकारी अनुमोदित खनन योजना के पृष्ठ क्रमांक 11 में उल्लेख किया गया है। कोयले के ग्रेड मे अंतर आने पर इसके मात्रा मे अंतर आ सकता है जो कुल मात्रा का 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हो सकता है।

2. आबादी क्षेत्र / स्कूल से लीज क्षेत्र 700 मीटर पर स्थित है परंतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22 / 02 / 2022 को ध्यान मे रखते हुए चिमनी भट्टे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया हुआ है जिसे अनुमोदित खनन योजना मे लगे नक्शों में प्रदर्शित किया गया है तथा भट्टे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने हेतु आपके विभाग मे शपथ पत्र पूर्व मे जमा किया गया है।

3. अनुमोदित खनन योजना मे चिमनी क्षेत्र की गणना बाधित क्षेत्र में किया गया है अतः इस क्षेत्र पर संशोधित खनन योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुमोदित खनन योजना मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 1 घनमीटर मिटटी और 1 घनमीटर फ्लाई एश के मिश्रण से 1,000 नग ईट का निर्माण होता है जिस आधार पर क्षेत्र मे 12 लाख ईट प्रतिवर्ष ईट निर्माण के लिए 1,200 घनमीटर मिटटी उत्खनन का प्रस्ताव अनुमोदित खनन योजना में दिया गया है अतः इस क्षेत्र के लिए संशोधित खनन योजना की आवश्यकता नहीं है। समिति का मत है कि आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के पत्र क्रमांक 280 / खनि.लि. / उ.प. / मिट्टी चिमनी ईट / 2023 बेमेतरा, दिनांक 16 / 06 / 2023 के अनुसार "प्रमाणित किया जाता है कि श्री फालेश कुमार साहू आ. बोधी राम साहू, निवासी परशुराम, सिंघारी वार्ड नं. 13, तहसील व जिला–बेमेतरा के ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 371 / 1, 370 / 2, 370 / 1 एवं 370 / 3 का कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज मिटटी (चिमनी ईट) स्थित खदान से 1 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई ईट भटठा या लीज संचालित नहीं है।"

5. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि. लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बारगांव) का क्षेत्रफल 2.04 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू) को ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–2.04 हेक्टेयर, क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मरकाडांड ब्रिक्स अर्थ एण्ड किल्न क्वारी (प्रो.– श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल), ग्राम–मरकाडांड, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2303)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/416980/2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–मरकाडांड, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 713/1, 713/2, 721, 722 एवं 714, कुल क्षेत्रफल–2.245 हेक्टेयर में से 1.31 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–712.26 घनमीटर (14,24,520 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मीकांत जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मरकाडांड का दिनांक 19/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 21/ख.नि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 10/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 60/खनिज/उत्खनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 59/खनिज/उत्खनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 713/1, 721 श्री नारायण प्रसाद एवं श्री बलदेव प्रसाद, खसरा क्रमांक 713/2 श्री गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री ईश्वर प्रसाद, सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति, खसरा क्रमांक 722 एवं 714 श्री कौलेश्वर, श्री भुनेश्वर एवं श्री गोविन्द के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री नारायण प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद एवं श्री कौलेश्वर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्खनन हेतु अन्य भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 704/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2022 बलरामपुर, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमंडल बलरामपुर, जिला–बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2018/7505 बलरामपुर, दिनांक 05/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मरकाडांड 1.38 कि.मी., स्कूल ग्राम–मरकाडांड 1.38 कि.मी एवं अस्पताल राजपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.7 कि.मी. दूर है। महानदी 585 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,200 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 21,567 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 548.33 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,225 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 35 मीटर प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	712.26	14,24,520
द्वितीय	712.26	14,24,520
तृतीय	712.26	14,24,520
चर्तुथ	712.26	14,24,520
पंचम	712.26	14,24,520

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	712.26	14,24,520
सप्तम	712.26	14,24,520
अष्टम	712.26	14,24,520
नवम	712.26	14,24,520
दशम	712.26	14,24,520

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 260 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,760 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,21,300 रूपये, खाद के लिए राशि 1,950 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,09,010 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,72,432 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43	2%	0.86	Following activities at, Village- Markadand	
			Pavitra Van Nirman	13.15
			Total	**13.15**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,053 नग पौधों के लिए राशि 80,028 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 62,500 रूपये, खाद के लिए राशि 7,890 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,16,418 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,99,052 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मरकाडांड के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 168, क्षेत्रफल 0.421 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा के अंदर चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित होना प्रदर्शित हो रहा है। समिति का मत है कि लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत् संशोधित सरफेस प्लान अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत् संशोधित सरफेस प्लान अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

4. जिग–जैग किल्न की स्थापना किये जाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमाकंन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. आवेदित खदान में जिग–जैग पद्धति का चिमनी किल्न प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 713/1, 721 श्री नारायण प्रसाद एवं श्री बलदेव प्रसाद, खसरा क्रमांक 713/2 श्री गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री ईश्वर प्रसाद, सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति, खसरा क्रमांक 722 एवं 714 श्री कौलेश्वर, श्री भुनेश्वर एवं श्री गोविन्द के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री नारायण प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद श्री गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री भुनेश्वर, श्री गोविन्द एवं श्री कौलेश्वर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत् संशोधित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं कराया गया है एवं लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के बाहर चिमनी का कुछ भाग स्थापित होना प्रतीत हो रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यो के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर संशोधित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. जिग–जैग किल्न की स्थापना किये जाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? की जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) जो खदान से निकलेंगे उसका उपयोग हम पौधों के संरक्षण जैसे किनारे पैचिंग ट्री गार्ड की तरह तथा रोड मेंटेनेंश के लिए करेंगे तथा कोयला जलने के बाद जो ऐश निकलेगा उसका उपयोग हम वापस मिट्टी के साथ मिलाकर ईंट निर्माण में उपयोग करेंगे।

7. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए तिरपाल/टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमाकंन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. आवेदित खदान में जिग–जैग पद्धति का बिमनी किल्न प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों में किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह नहीं किये जाने एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण व संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान में स्थानिय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. खदान के चारों तरफ 1 मीटर की बाउंड्री छोड़ी गई है। उस पर फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण का कार्य करवाउंगा। तथा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी एवं सीईआर के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य मे पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जायेगा, साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. सी.ई.आर. के अन्तर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के बाहर चिमनी का कुछ भाग स्थापित होना प्रतीत हो रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर संशोधित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय सहगल), ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1190)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/144140/2020, दिनांक 20/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/02/2020 एवं 17/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/07/2020 एवं 19/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बिलाडी का दिनांक 06/06/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 04/ख.लि./तीन–6/उ.प./2017 रायपुर, दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि./तीन–6/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि. /तीन–6/2019/2036 रायपुर, दिनांक 24/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री शिव कुमार देवागंन के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीड डीड का हस्तांतरण श्री संजय सहगल के नाम पर दिनांक 02/09/2010 को किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड की अवधि वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./रा/3025 रायपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिलाडी 1 कि.मी, स्कूल ग्राम–बिलाडी 1 कि.मी. एवं अस्पताल तिल्दा 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन है। जियोलॉजिकल रिजर्व की गणना 6 मीटर गहराई तक की गई है। विगत 10 वर्षों में 0.93 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,866 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	933	1.5	1,400	3,500
द्वितीय	933	1.5	1,400	3,500
तृतीय	933	1.5	1,400	3,500
चतुर्थ	933	1.5	1,400	3,500
पंचम	933	1.5	1,400	3,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छटवे	933	1.5	1,400	3,500
सातवे	933	1.5	1,400	3,500
आठवे	933	1.5	1,400	3,500
नौवे	933	1.5	1,400	3,500
दसवे	933	1.5	1,400	3,500

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष में उत्खनन कर, 7.5 मीटर की पट्टी में भण्डारण/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल – 2.9 हेक्टेयर, क्षमता – 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण सम्माघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 08/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010	250
2011	500
2012	निरंक
2013	500
2014	निरंक

v. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन कार्य वर्ष 2014 से बंद है। चुंकि लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में शासकीय स्कूल, ग्राम–बिलाड़ी में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र के ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश किया जाए एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित खदारी प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन होना बताया गया है, जबकि गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र में ब्लॉकड रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,23,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,97,150 टन है। साथ ही ब्लॉकड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र (ब्लॉकड रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि गणना में त्रुटि है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश करते हुये प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Biladi	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.30
			Total	**1.45**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **उत्खनन योजना** – संशोधित क्वॉरी प्लान एलॉग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन पृ.क्रमांक 5112/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 08/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। जिसमें जियोलॉजिकल रिजर्व 4,31,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,04,650 टन है। साथ ही ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉक्ड रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में इस चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर, क्षमता–300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/03/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 13/09/2021 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 14 (वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जाना), शर्त क्रमांक 25 (न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित नहीं किया गया) एवं 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का पालन पूर्ण करने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित एवं निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(उ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी बिन्दुवार प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन नहीं किया गया है।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,58,700 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,89,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,08,300 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 23,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,100 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 70,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

5. उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का है। तत्पश्चात् लीज डीड का हस्तांतरण हो चुका है। अतः समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत बिन्दुवार जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत बिन्दुवार जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन पूर्ण कर 6 माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खदान क्षमता विस्तार के प्रकरण के अंतर्गत आता है। पूर्व में उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का

अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है तथा पूर्व में क्रशर की स्थापना का प्रस्ताव नहीं था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में भी वर्ष 2004 के ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति (क्षमता विस्तार के लिए) जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित क्वारी प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉक्ड रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है तथा पूर्व में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का केवल उत्खनन के संबंध में जारी किया गया है। जबकि वर्तमान में क्षमता विस्तार के साथ क्रशर की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। अतः उत्खनन के संबंध में एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. अद्यतन उत्खनन के संबंध में एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी.सी.यू. में वर्तमान उत्खनन क्षमता (300 टन प्रतिवर्ष) से क्षमता वृद्धि (3,500 टन प्रतिवर्ष) करने पर कुल प्रदूषण में वृद्धि होगी। अतः प्रदूषण को कम करने के संबंध में आपके द्वारा शासन के नियमानुसार समुचित उपाये किये जायेगें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में ब्लास्टिंग की संख्या तथा क्षमता विस्तार करने पर ब्लास्टिंग की संख्या में वृद्धि होगी। ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत अतिरिक्त सुरक्षा उपाये एवं अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वर्तमान में क्रशर स्थापना की योजना नहीं होना बताया गया है। अतः क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी.सी.यू. में वर्तमान उत्खनन क्षमता (300 टन प्रतिवर्ष) से क्षमता वृद्धि (3,600 टन प्रतिवर्ष) करने पर प्रदूषण को कम करने के संबंध में शासन के नियमानुसार समुचित उपाये किये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत अतिरिक्त सुरक्षा उपाये एवं अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना से संबंधित इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ऐ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के तहत् स्वीकृति के समय पंचायत प्रस्ताव लिये जाने का प्रस्ताव था, नवकरण के

समय नहीं था। लीज स्वीकृति के समय पंचायत प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना से संबंधित इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ओ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. मॉडिफाईड क्वॉरिंग प्लान एण्ड क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि. प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 4,31,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,28,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,950 वर्गमीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर है। जिसे 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 103 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	3,150

2024–25	3,150
2025–26	3,200
2026–27	3,200
2027–28	3,200

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि. /तीन–6/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बिलाडी) का क्षेत्रफल 2.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय सहगल) को ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 105/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर, क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डी. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू) को खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1, ग्राम–बारगांव, तहसील–बैरला, जिला–बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्र 2.04 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.04 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

10. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

11. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.75	2%	0.995	Following activities at **Village- Bargaon**	
			Pavitra van Nirman	3.81

			Total	3.81

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,11,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,70,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बारगांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 9.28 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 700 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 400 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही

वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

28. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

29. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

30. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

32. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय सहगल) को खसरा क्रमांक 105/1, कुल लीज क्षेत्र 2.9 हेक्टेयर, ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.9 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 3,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Biladi**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.30
			Total	**1.45**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

19. सी.ई.आर. के तहत् 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 23,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,100 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 70,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 600 नग पौधों का रोपण (कुल 1,800 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त**

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग / मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वैट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वैबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.